दिनांक 24.04.2013 को उप विकास आयुक्त, चतरा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति- पंजी में संधारित है ।

01- 13 वीं0 वित्त आयोग एवं बी0आर0जी0एफ0- जिला परिषद अन्तर्गत पंचायतों को प्राप्त कराये गये का उपयोगिता प्रमाण-पत्र की चर्चा की गई । उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि पंचायत 13 वीं0 वित्त आयोग एवं बी0आर0जी0एफ0 मद अंतर्गत सभी पंचायतों एवं पंचायत समितियों तथा जिला परिषद के सदस्यों को कई चरणों में राशि दी गई है लेकिन इनके द्वारा व्यय राशि का अभी तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया है । यह भी बताया गया कि 13 वीं0 वित्त आयोग एवं बी0आर0जी0एफ0 दोनों मदों के लिए पंचायतवार अलग-अलग बैंक खाता संख्या की माँग की गई थी लेकिन अभी तक मात्र 52 पंचायतों को छोड़कर शेष सभी पंचायतों का खाता संख्या अप्राप्त है । उप विकास आयुक्त द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकररियों को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर अलग-अलग खाता संख्या जिला परिषद कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए ।

02- भारत की जनगणना-2011 - अपर समाहर्त्ता- सह- निदेशक, डी0आर0डी0ए0 द्वारा जनगणना -2011 की चर्चा की गई । अपर समाहर्त्ता द्वारा सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि जनगणना मद् में उपलब्ध कराये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एक सप्ताह के अन्दर उपलबध कराने का निदेश दिया गया ।

<u>मनरेगा-</u>

मनरेगा योजनाओं की समीक्षा की गई । मनरेगा योजना की स्वीकृति एवं व्यय पर चर्चा की गई । उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि इस जिले में लगभग 4200.00 लाख रू0 की योजनाओं की स्वीकृति दी गई है जिसके विरूद्ध एम0आई0एस0 में मात्र लगभग 900.00 लाख का व्यय हुआ है जो काफी खेद जनक स्थिति है । हण्टरगंज,ईटखोरी, मयुरहण्ड,सिमरिया एवं प्रतापपुर की योजनाओं की समीक्षा के कम में स्थिति व्यय प्रतिशत् काफी कम पाया गया । विगत् 15 दिनों में मात्र 5.00

लाख राशि का ही एम0आई0एस0 कराया गया है ।उप विकास आयुक्त द्वारा इन रोजगार सेवकों से कम व्यय के संबंध में स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया । साथ हीं व्यय प्रतिशत् बढाने का निदेश दिया गया ।

कान्हाचट्टी प्रखण्ड की समीक्षा किया गया । इस प्रखण्ड के ग्राम पंचायत राजपुर का Performance काफी खराब पाया गया । उप विकास आयुक्त द्वारा इस पंचायत के रोजगार सेवक का बेतन बन्द करने का निदेश दिया गया ।

बैठक के दौरान प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निम्नांकित निदेश दिये गये–

- मनरेगा में राशि का व्यय में बढोतरी लायें ।
- व्यय एवं एम0आई0एस0 में अन्तर शून्य रखें ।
- योजनाओं की भौतिक जाँच के आधार पर मापी कराकर मापीपुस्त में राशि की मापी अंकित कराकर भुगतान करायें ।
- जिन पंचायतों का Performance संतोषप्रद नहीं है उस पंचायत के रोजगार सेवक के विरूद्ध कार्रवाई हेतु अनुशंसा भेजी जाए ।

योजनाओं की मापी की चर्चा के क्रम में कान्हाचट्टी, कुन्इर एवं मयुरहण्ड में एक-एक कनीय अभियंता एवं कुन्दा प्रखण्ड में एक सहायक हेतु उक्त प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा किया गया । उप विकास आयुक्त द्वारा श्री अशोक कुमार सिंह, कनीय अभियंता को मयुरहण्ड प्रखण्ड में कुन्दा एवं कान्हाचटटी के लिए एक-एक कनीय अभियन्ता प्रतिनियुक्त करने तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,कान्हाचट्टी की सहमति प्राप्त कर श्री जय प्रकाश नारायण, सहायक कुन्दा अंचल प्रतिनियुक्त कान्हाचट्टी की प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए कुन्दा अंचल में वापस करने का निदेश दिया गया । श्री नारायण अंचल के अतिरिक्त कुन्दा प्रखण्ड का कार्य करेंगे । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,कान्हाचट्टी द्वारा बताया गया कि श्री वर्णवाल, कनीय अभियन्ता प्रखण्ड कभी नहीं जाते है और न हीं योजनाओं में मापी करते हैं । उप विकास आयुक्त द्वारा श्री वर्णवाल को मनरेगा एवं अन्य विकास कार्यो से मुक्त करने का निदेश दिया गया ।

डी0सी0 विपत्र

डी0सी0 विपत्र की समीक्षा की गई । उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि अभी भी बहुत राशि का डी0सी0 विपत्र लंबित है । उप विकास आयुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि अवशेष राशि का डी0सी0 विपत्र शीघ्र उपलब्ध करायें ताकि सामंजन के लिए व्यय राशि का डी0सी0 विपत्र महालेखाकार को भेजा जा सके । राज्य सरकार इस विषय पर काफी गंभीर है अन्यथा लंबित डी0सी0 विपत्र कार्यालय प्रधान के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी । साथ हीं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं अन्य सूत्र विभागों को विधायक मद्, मुख्यमंत्री विकास योजना एवं अन्य मद् में व्यय राशि का डी0सी0 विपत्र शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया।

इंदिरा आवास योजना एवं आवास सोफ्ट

वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 इन्दिरा आवास योजना की समीक्षा की गई । समीक्षा में पाया गया कि योजनाओं की प्रगति काफी असंतोषप्रद है । लक्ष्य से आज भी काफी पीछे है साथ हीं आज की तिथि में मात्र 4.86 करोड़ का ही आवास साफ्ट में इन्ट्री हो पाया है जबकि वास्तविक व्यय 12.00 करोड़ है । उप विकास आयुक्त द्वारा नाराजगी व्यक्त किया गया एवं निदेश दिया गया कि योजना पंजी बी0पी0एल0 नम्बर/ खाता नम्बर आदि के साथ संबंधित सहायक एवं नाजीर की प्रतिनियुक्ति डी0आर0डी0ए0 में करें ताकि त्वरित गति से इन्ट्री हो सके ।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में अतिरिक्त इन्दिरा आवास योजना के एकरारनामा एवं प्रथम किस्त अग्रिम की समीक्षा की गई । निदेश दिया गया कि लक्ष्य के विरूद्ध शत्-प्रतिशत् एकरारनामा किया जाए साथ हीं कार्य प्रारम्भ कराते हुए सभी लाभुकों का खाता खोलवाते हुए प्रथम किस्त की राशि लाभुकों के खाता में हस्तान्तिरत किया जाए

एन0आर0एल0एम योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में बताया गया कि एस0ज0एस0वाई0 योजना विलय होकर एन0आर0एल0एम0 योजना कहलाया है । इससे संबंधित नियमन के संबंध में निदेश दिया कि विस्तृत जानकारी हेतु जिला स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए जिसमें सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ग्राम सेविका एवं इस योजना से संबंधित अन्य कर्मी/ पर्यवेक्षक भी भाग लेंगे ताकि योजना का सफल कियान्वयन कराया जा सके ।

निर्वाचन

दिनांक 01-07-2013 को अर्हत्ता तिथि मानकर मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण की चर्चा की गई । पुनरीक्षण हेतु बताया गया कि दिनांक 01-05-2013 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन सभी मतदाता केन्द्रों में किया जाना है । दिनांक 1-05-2013 से 31-05-2013 तक दावा/आपत्ति प्राप्त करना है । दिनांक 20-6-2013 को दावा/आपत्ति का निष्पादन करते हुए दिनांक 01-078-2013 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना है । इएके लिए दिनांक 30-04-2013 के पूर्व सभी राजनीतिक दलों/प्रखाण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी के साथ एक बैठक का आयोजन किया जाऐगा । सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को पर्याप्त संख्या में प्रापत्र एवं कार्यकम की प्रति उपलब्ध करा दिया जाऐगा । उप विकास आयुक्त द्वारा उक्त कार्यकम को दृढतापूर्वक सफल करने का निदेश दिया गया ।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

20/1/13

उप विकास आयुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक--478----/जि0ग्रा0, दिनांक -15.5.2013

प्रतिलिपि- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी,चतरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा/ सभी कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-जिला अभियंता, जिला परिषद, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- जिला योजना पदाधिकारी/ आई0ए0पी0 नोड्ल पदाधिकारी/जिला सूचना पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सभी प्रखण्ड के वरीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - सभी संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सभी लिकेंज बैंक शाखा प्रबंधक/ जिला अग्रणी प्रबंधक,चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उप विकास आयुक्त,
चतरा।,

ज्ञापांक--478--/जि0ग्रा0, दिनांक -15.5.2013

प्रतिलिपि- उपायुक्त,चतरा को सूचनार्थ प्रेषित।

उप विकास आयुक्त,
चतरा।,

ज्ञापांक--478--/जि0ग्रा0, दिनांक -15.5.2013

प्रतिलिपि- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल,हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

उप विकास आयुक्त,
चतरा।